कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 19–12–2020.

–बैठक कार्यवृत दिनांक 19–12–2020–

दिनांक 19–12–2020 को अपराह्न 4.00 बजे स्वच्छ भारत मिशन ''स्वच्छ सर्वेक्षण 2021'' अन्तर्गत आयोजित बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1– श्री जी.के. जायसवाल, प्र0कार्यपालन यंत्री,
2– श्री एम.के. जैन, प्र0 कार्यपालन यंत्री, वि0शा0,
3– श्री ए.पी.सिंह, प्र0स्वच्छता अधिकारी
4–– श्री अनवर कुरैशी–प्र0सहायक यंत्री, लोनिवि.,
5– श्री रामचन्द्र शर्मा प्र0कार्यालय अधीक्षक,
6– श्री राजेन्द्र मिश्रा–उप यंत्री,.लोनिवि
7– श्री सुहास पंडित–उप यंत्री–जलप्रदाय,
8– श्री राजेश पाटीदार–उप यंत्री,. लोनिवि.
9– श्री विकाससिंह मरकाम–उप यंत्री,
10– श्री मनीष तिवारी–उप यंत्री,
11– श्री सिद्धार्थ सोनी–उप यंत्री,
12– सुश्री दिक्षा निजामपुरकर–उप यंत्री,
13– श्रीमती अनिता ठाकुर–उप यंत्री,
14– श्री नितिन तिवारी–सिटी मिशन मैनेजर,
15– श्री पर्वत हाड़े–प्र0स्वच्छता निरीक्षक,
16– श्री किरण कुमार चौहान–प्र0स्वच्छता निरीक्षक,
17– श्री धर्मेन्द्र दोगाया–उद्यान पर्यवेक्षक,
18– श्री बलवन्तसिंह राठौर, स0रा0नि0,
19– श्री वासुदेव बैरागी–सहायक राजस्व निरीक्षक,
20– श्री प्रमोद तिवारी–स्टेनोग्राफर,
21– श्री हेमन्त बंदोड़िया–स्थायीकर्मी,
22– श्री नवीन बैरागी–कंप्युटर आपरेटर,
23– नगर निगम की सहयोगी संस्था ICT आस्था (NGO) के सदस्यगण,
24– सुलभ इंटरनेशनल से श्री कुमुद,

बेठक में विचार–विमर्श के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गए :–

निगम की सहयोगी संस्था ICT आस्था के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि परसों तक उनके कार्य का परिणाम चाहिए, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी । संस्था के टीम लीडर श्री फिरोज उपस्थित नहीं हुए व इसकी जानकारी लेने पर उक्त संस्था के सदस्य द्वारा बताया गया कि उनका मोबाईल बंद आ रहा है, जिस पर उक्त संस्था के प्रमुख (प्रेसिडेंट) श्री विजय अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा कर उन्हें इससे व इस कार्य हेतु काफी कम

सदस्य लगाये जाने से सदस्य संख्या बढ़ाये जाने हेतु कहा गया, जिस पर श्री अग्रवाल द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सोमवार से 15 सदस्य और बढ़ा रहे हैं ।

(1). आवासीय क्षेत्र में दिन में एक बार व व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 2 बार सफाई करवाये जाने का कार्य प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा नियमित रूप से करवाया जावे ।

(2). स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी स्वच्छता उपकरण किट दिये जाने से रह गए हैं उन्हें स्वच्छता उपकरण किट तत्काल उपलब्ध करायी जाय ।

(3). 50 माईक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर प्रतिबन्ध होने से इसके उपयोग पर सख्ती 50–100 रूपए का स्पाट फाईन किया जाकर संबंधित को कैरी बैग दें, ताकि 50 माईक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद हो जाए । इस हेतु झोला बैंक का कार्य किया जावे व स्पाट फाईन से प्राप्त राशि से 500–1000 कैरी बैग का वितरण प्रति दिन किया जावे तथा 2–4 महिने तक यह अभियान जारी रखा जावे ।

(4). QCI की टीम आ रही है, अतः CTPT के कार्य अन्तर्गत रंगाई–पुताई, कोई टोटी टूटी हो तो उसे ठीक करवाना, पानी की उपलब्धता देखना, वायरिंग निकली हो तो उसे टीक करवाना, दरवाजे/कुंडी आदि बराबर लगते हैं या नहीं, कोई सिविल वर्क शेष हो तो समय–सीमा में उसे पूर्ण कर लिया जावे ।

5–10 जगह पर प्रकाश व्यवस्था की कमी है, शाम 7 बजे तक यह कार्य किया जावे श्री एम.के. जैन प्र0कार्यपालन यंत्री–वि.शा. द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सभी कार्य 100 प्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे, इस हेतु दिन–रात लगकर कार्य को पूर्ण किया जावे । क्षेत्रीय उप यंत्री इसे प्राथमिकता दें ।

(5). साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था की जावे व CTPT के निकट के 100–200–300 मीटर क्षेत्र तक की पर्याप्त सफाई करवायें व जो पूरी टीम लगी है वह सर्तकता से कार्य करे। व्यक्तिगत रूप से इसे चेक करें व किये गये कार्य का फोटो ''रतलाम बनेगा नं0 01'' में अपलोड करें

(6). 18 पब्लिक टायलेट पर वेडिंग मशीन का कार्य किया जावे व जो कमियां है उसे तत्काल दूर किया जाकर कंपलीट किया जावे । श्री एम.के. जैन प्र0कार्यपालन यंत्री–विकास शाखा व श्री सिद्धार्थ सोनी उप यंत्री यह कार्य करायेंगे ।

(7). लिटर बिन्स भी आज ही लगाये जाएं व फोटो खीचंकर आज ही ''रतलाम बनेगा नं0 01'' पर अपलोड करें ।

(8). जो भी वस्तु की कमी हो वह मंगवा लें । उद्यान विभाग गमलों की व्यवस्था रखे व जिसकी वहां पर ड्यूटी लगी है वह वहां पर पूरे समय बराबर ड्यूटी करे व ड्यूटी के समय

कार्य स्थल छोड़कर न जाए, जिसके यहां पर चोरी होगी, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी । इस हेतु श्री धर्मेन्द्र दोगाया उद्यान पर्यवेक्षक को निर्देश दिये गए ।

(9). सुलभ इंटरनेशल अन्तर्गत पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था ठीक न होने से सुलभ इंटरनेशल के प्रमुख श्री अनिल झा से दूरभाष पर चर्चा की गई व उन्हें रतलाम शहर में स्थित स्टाफ को निर्देशित किये जाने हेतु अवगत कराया गया ।

साथ ही बैठक में उपस्थित सुलभ के श्री कुमुद को निर्देश दिये गए कि जो भी कार्य करवाये हैं उनके फोटो भी खींच रहे हैं या नहीं ? सुलभ के सभी पब्लिक टायलेट को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खुले रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

इसके अतिरिक्त पब्लिक टायलेट के यहां स्थित वेडिंग मशीन/फीडबेक मशीन ठीक से कार्य कर रही है या नहीं इसे भी देखा जावे व इनमें कोई समस्या होने पर नगर निगम को सूचित किया जावे तथा वहां पुरूष, महिला के स्टीकर लगवा दिये जायें ।

(10). कटारिया वायर्स व शिव शंकर कालोनी के पीछे के क्षेत्र की ओर, पीएमएवाय, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, सीवरेज व फोर लेन आदि प्रोजेक्ट के यहां पर लगे श्रमिक पर ध्यान दिया जावे व वहां पर अस्थायी शौचालय की व्यवस्था पॉईन्ट पर की जावे, जिसके पूर्व इस हेतु रिपोर्ट ले ली जावे व पश्चात् इस हेतु व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें ।

(11). ओडीएफ हेतु QCI की टीम आ रही ह । इस हेतु जितने पॉईन्ट पर लोग लगे हैं उनके पास सिटी भी रहे व ड़ंडे भी रहे । <u>ODF ±±</u> में पूरी ताकत झोंक दें व 10 लाख से कम की आबादी में रतलाम को नं0 01/टाप पर लाना है, सभी इस हेतु तैयारी रखेंगे ।

(12). खेतलपुर STP का कार्य 31 दिसम्बर–2020 तक की अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु संबंधित को दूरभाष पर निर्देश दिये गए ।

(13). रतलाम शहर के नगर निगम के (1). वार्ड नंबर 07 अलकापुरी, (2). वार्ड नम्बर 14 काटजू नगर, इस प्रकार उक्त दो वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड (Zero Waste Ward) बनाने की शुरूआत अगले सप्ताह में की जाय ।

14– कचरा संग्रहण वाहन के हेल्पर द्वारा घर–घर से सूखा व गीला कचरा अलग–अलग लिया जाए व डस्ट बिन में मिक्स कचरा होने पर उसे नहीं लिया जावे ।

15– कचरा संग्रहण वाहन के किसी ड्रायवर, हेल्पर द्वारा मिक्स कचरा (सूखा/गीला) लिया तो उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं प्र0स्वच्छता निरीक्षक व प्र0स्वच्छता अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा ।

16— खुले में शौच को प्रतिबंधित किये जाने हेतु जो खुले में शौच करे उसे आइडेन्टीफाईड कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें । साथ ही खुले में पेशाब करने वाले के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावे ।

17— हर घर में सूखे व गीले कचरे हेतु पृथक—पृथक डस्ट बिन रखा जावे । ''स्वच्छ सर्वेक्षण 2021'' हेतु जनता को जागरूक किया जावे । इस हेतु निगम स्टाफ व सहयोगी संस्था ICT आस्था (NGO) के सदस्यगण को निर्देशित किया गया कि सूखा व गीला कचरा अलग—अलग रखने का कार्य 100 प्रतिशत हो, मीडिया में सहयोगी संस्था की एक्टिविटी प्रमुखता से रहे, इस हेतु जनसम्पर्क विभाग के श्री हेमन्त बंदोड़िया (मोबा. नं0 9644000604) से सम्पर्क करें । हमको पूरी ताकत के साथ रतलाम को पूरे देश में नं0 01 बनाना है। साथ ही दिन भर की एक्टिविटी की जानकारी मुझे (मोबा.नं. 9644000400) पर मिलती रहे। नगर निगम की वेवसाईट rmcratlam व ''मैं बनाउंगा रतलाम को नं0 01'' पर जो भी काम है वह शाम 5.00 बजे तक भेजा जावे ।

18— पब्लिक टायलेट के आसपास गंदगी नहीं हो इसके वीडियो के साथ शाम 5.00 बजे तक ''मैं बनाउंगा रतलाम को नं0 01'' में फोटो व विडियो तथा मेरे व श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े प्र0 उपायुक्त के मोबा.नं0 9424066421 पर भेजा जावे।

19— श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा कार्यवृत को निगम की वेवसाईट rmcratlam.in व ''मैं बनाउंगा रतलाम को नं0 01 पर अपलोड किये जाने का कार्य किया जावे ।

उक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे ।

19/12/2020

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0 / 1045/30 / नि.स. / 2020

रतलाम, दिनांक 21—12—2020

प्रतिलिपि,

1— कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगरपालिक निगम.रतलाम की ओर अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2— समस्त विभाग प्रमुख, नगर पालिक निगम—रतलाम,

3— संबंधित श्री ———————————————————

नगर पालिक निगम, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सही/
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम